



72

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र050

12007 पुनरीक्षण

R 806-I/07

श्री एस के राजपुत्री 08
द्वारा आज दि. 7-5-07 को प्रस्तुत।

राजस्व नं० डल म० प्र० ग्वालियर

- 1- राजाबेटी पत्नी हनुमन्तसिंह
- 2- शकुन्ता देवी पुत्री हनुमन्तसिंह
- 3- गुलाबसिंह पुत्र हनुमन्तसिंह
- 4- नारायणसिंह पुत्र हनुमन्तसिंह
- 5- उपेन्द्रसिंह पुत्र रघुनन्दनसिंह

निवासीगण मन्सी तिराहा, शिवपुरी
तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी

आवेदकाण

विह्व

- 1- ग्राम पटवारी ग्राम मन्सीगुरा
तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी
- 2- मध्य प्रदेश राज्य
- 3- राजकुमार
- 4- महेशकुमार
- 5- अशोककुमार
- 6- देवकी पुत्री रामरतन

पुत्राण रामरतन

निवासीगण मन्सी तिराहा, शिवपुरी
तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी

अनावेदकाण

अपर क्लेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
12004-2005 अपील, में पारित आदेश दिनांक
18-5-2006 के विह्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-331
म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961,

जो मजा जावे जहां निवार करता
सत्यापनकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-806-एक/2007

जिला शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं : आदि के हस्त
<p>24/12/18</p>	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्र.क्र. 19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 18-5-2006 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई-योग्य नहीं रही है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-5-16 के विरुद्ध आयुक्त/ अपर आयुक्त के समक्ष पीढ़ित पक्षकार को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तदनुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25-9-18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है।</p>	

नि-पु
रा अ

18

सदस्य